Case No -394/2024

(27)

राजीनामा

मानननीय न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय,
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मनप्रीत ढिल्लो व अन्य बनाम् **हरबंस कौर व अन्य**

दावा

श्रीमान् जी,

उपरोक्त प्रकरण में आज की तारीख पेशी निश्चित हैं। कि प्रतिवादीया सं. 1 वादीगण की दादी, प्रतिवादी सं. 2 वादी सं. 2 का पिता, प्रतिवादी सं. 3 वादी सं. 3 का पिता, प्रतिवादी सं. 4 वादी सं. 1 का पिता, प्रतिवादीया सं. 5 वादीगण की बुआ हैं जो एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण की दादी प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से विरासतन तौर पर तहसील संगरिया के चक 8 पी. टी.पी. के खाता सं. 137/133 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.771 है. कृषि भूमि तथा चक 6 पी.टी.पी. के खाता सं. 124/109 जमाबन्दी सम्वत् 2072-76 में 0.405 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 5 ने उक्त विरासतन कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादीगण के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। प्रतिवादी सं. 5 का अब उक्त भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। क्योकि प्रतिवादी सं. 5 की शादी ऊँचे खानदान में कर दी है वह अपने परिवार में राजीखुशी रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। वादीगण को घरू तौर पर बंटवारा में प्राप्त विरासतन कृषि भूमि विभाजन अनुसार निम्न प्रकार से प्राप्त हुई हैं :-

(क) वादीगण क्रमशः मनप्रीत ढिल्लो पुत्र श्री हरदीप ढिल्लो, अमरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह एवं अजमीत सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

तहसील संगरिया के चक 8 पी.टी.पी. के खाता सं. 137/133 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.771 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 6 पी.टी.पी. के खाता सं. 124/109 जमाबन्दी सम्वत् 2072-76 में 0.405 है. कृषि भूमि

Manpreet Dhillon
Amrender

लगातार --2

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक किया जाकर मुताबिक राजीनामा डिक्री निम्न प्रकार से फरमाई जावे कि वादीगण की दादी प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से विरासतन तौर पर तहसील संगरिया के चक 8 पी.टी.पी. के खाता सं. 137/133 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.771 है. कृषि भूमि तथा चक 6 पी.टी.पी. के खाता सं. 124/109 जमाबन्दी सम्वत् 2072-76 में 0.405 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

दिनांक :-

प्रतिवादी सं. 1 ता 5

1. हरबंस कौर पत्नी श्री भोला सिंह
2. शमशेर सिंह पुत्र श्री भोला सिंह
3. हरपाल सिंह पुत्र श्री भोला सिंह
4. हरदीप सिंह पुत्र श्री भोला सिंह

समस्त जाति जटसिख निवासीगण इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

5. कुलदीप कौर पुत्री श्री भोला सिंह पत्नी श्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

वादीगण

1. मनप्रीत ढिल्लो पुत्र श्री हरदीप ढिल्लो
2. अमरेन्द्र सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह
3. अजमीत सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह

समस्त जाति जटसिख निवासीगण इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

प्र.सं. 394/2021
अंतर्गत u/s 88
Raj tenancy act

मुताबिक जमीन खातेदार हरबंस कौर की self acquired संपत्ति है. वह अपनी मर्जी से इसे transfer कर सकती है. इसलिए यह राजीनामा स्वीकार किया जाता है. तहसीलदार संगरिया, Proper stamp duty जमा करवाकर, राजीनामे के मुताबिक अमलदरामद करें. execution स्टाम्प duty होने पर ही करें.

?.12.23
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
संगरिया